

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 11268/2022

अजय तोमर पुत्र स्व. रणबीर सिंह तोमर , उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी
सत्य नारायण, 193-सीएच-16, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर
(राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ , सचिव, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय, डाक विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन , नई दिल्ली।
3. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, राजस्थान परिमंडल, जयपुर।
4. डाकघर अधीक्षक , डाक विभाग, भारत, चूरु मंडल, चूरु

----प्रतिवादी

--

याचिकाकर्ता(यों) के लिए

: श्री उमेश दुबे

प्रतिवादी के लिए

: श्री देवेश बंसल, वरिष्ठ स्थायी
वकील, श्री सी.पी. शर्मा

--

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान. जस्टिस भुवन गोयल

आदेश

26/04/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच जयपुर, (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा वेतन और परिणामी लाभ प्रदान न करने की सीमा तक पारित दिनांक 01.10.2021 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने चूरू संभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर चयन हेतु 29.06.2014 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक थी। याचिकाकर्ता ने हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित प्रथमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सम्मेलन , इलाहाबाद। दिनांक 24.07.2014 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को आयु, शैक्षिक योग्यता, समुदाय, जाति प्रमाण पत्र और चरित्र पूर्ववृत्त आदि के सत्यापन के संतोषजनक परिणाम के अधीन अनंतिम रूप से चयनित किया गया था। सत्यापन के दौरान, याचिकाकर्ता को मैट्रिक पास न होने के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। पीड़ित याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन (संक्षेप में 'ओए') दाखिल किया। 01.10.2021 को,

न्यायाधिकरण ने ओए को अनुमति दे दी और माना कि प्रथमा माध्यमिक के समकक्ष है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता को उस पद पर नियुक्ति के लिए विचार करें जिसके लिए वह अनंतिम रूप से उपयुक्त पाया गया था। यह भी आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन या किसी अन्य परिणामी लाभ का हकदार नहीं होगा, जब तक उसने काम नहीं किया था।

3. दिनांक 20.09.2023 को इस याचिका में वित्तीय लाभों को छोड़कर परिणामी लाभों के अनुदान के सीमित पहलू के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथमा परीक्षा को मैट्रिक के समान मानने वाले परिपत्र के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से गलत तरीके से इनकार किया गया। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए। भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य बनाम केवी जानकीरमन एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 109 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया है। उनका तर्क है कि अनंतिम चयन नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है।

6. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

7. यह सूचना जारी करने से कि याचिकाकर्ता को चयन हेतु अनंतिम रूप से योग्य पाया गया है, नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता। याचिकाकर्ता ने योग्यता की समतुल्यता के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष सफलता प्राप्त की और इसलिए उसे नियुक्ति हेतु विचार किए जाने का आदेश दिया गया। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण द्वारा प्रथमा को मैट्रिक के समतुल्य मानने के बाद, याचिकाकर्ता पात्र हो गया और उसे नियुक्ति हेतु विचार किए जाने का अधिकार था। न्यायाधिकरण के उस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता पर विचार करने के निर्देशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि याचिकाकर्ता परिणामी लाभों का हकदार है।

8. भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरमन (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना व्यर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला ऐसा था जिसमें कार्यरत कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाही या लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोपी होने के कारण निलंबित कर दिया गया था और बाद में उसे निर्दोष पाया गया। इस पृष्ठभूमि में, यह माना गया कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू

नहीं होगा क्योंकि कर्मचारी सेवा देने के लिए तैयार था, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई।

9. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। रिट याचिका खारिज की जाती है।

भुवन गोयल) ,जे

(अवनीश झिंगन) ,जे

सरल कुमावत /26 क्या रिपोर्ट योग्य है : हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी